बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	कार्यवाही 27-3-2023	पत्रावली प्रस्तुत। व०के०उप०। उत्तरपक्ष की आपत्ति कुरेजात प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/4/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर
	5-4-2023	पत्रावली प्रस्तुत। व०के०उप०। पत्रावली प्रक्रिया वास्ते आदेश दिनांक 12-4-23 को पेश हो।
	12-4-23	पत्रावली प्रस्तुत। व०के०उप०। आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार मौके से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर बाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,

मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 70 / 2020 वाद प्रस्तुति दिनांक – 23.09.2020

1. मन्जू शर्मा उम्र 56 वर्ष पत्नी स्व. श्री विमल कुमार
2. विपुल शर्मा उम्र 26 वर्ष पुत्र स्व. श्री विमल कुमार
3. नेहा शर्मा उम्र 28 वर्ष पुत्री स्व. श्री विमल कुमार

समस्त जतियान् ब्रहम्ण, निवासीयान – प्लोट नम्बर 21, कल्याण कुंज, खिरणी फाटक रोड, झोटवाडा, जयपुर (राजस्थान)

.... वादीगण

बनाम

1. कमलेश कुमार शर्मा उम्र 66 वर्ष पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल, जाति ब्रहाम्ण, निवासी – प्लोट नम्बर 23, शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राजस्थान)
2. राजेश कुमार शर्मा उम्र 68 वर्ष पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी नरसिंह जी का मंदिर, भूरा का प्याउ, कब्रिस्तान के सामने, घाटगेट, जयपुर (राजस्थान)
3. तहसीलदार आमेर लैण्ड होल्डर, तहसील कार्यालय आमेर जिला जयपुर (राजस्थान)

.........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

उपस्थिति :– (1) श्री श्योजीराम कुमावत अधिवक्ता – वादीगण की ओर से
(2) श्री गजराज कुमार योगी अधिवक्ता – प्रतिवादी संख्या 1 ओर से

निर्णय दिनांक:– 12.04.2023

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। वादी ने वाद पत्र में अंकित यह किया गया है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण एक ही सजरा खानदान प्रभूदयाल पुत्र भेरूराम के वंशज है। वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी भूमि नया खाता संख्या 165 पुराना खाता संख्या 150 खसरा नम्बर 662 रकबा 0.09 हैक्टेयर किस्म बंजड ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान मे स्थित है। वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 662 में वादीगण अविभाजित 1/3, प्रतिवादी संख्या –1 का 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या – 2 का 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 662 को अकेला हडपना चाहता

सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

है तथा उसमे तोड फोड निर्माण कर उसे खुर्द बुर्द करने पर आमदा है। वादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य मे नकल प्रमाणित जमाबन्दी संवत खसरा नम्बर 662 प्रस्तुत किया है। वादीगण ने याचित किया है कि वह वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स पर विभाजन करवाकर अपने हिस्से की भूमि का पृथक से खाता कायम करवाकर पृथक कब्जा प्राप्त करे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनाक 01.03.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा पेश नहीं किया ओर दावे का समर्थन व्यक्त किया।

पत्रावली लोक–अदालत बैंच संख्या एक दिनांक 12.03.2022 के समक्ष प्रस्तुत हुई। उभयपक्षकारान की सहमति एव लोक अदालत के दृष्टिगत वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया किया गया। तदनुसार तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि आराजी भूमि नया खाता संख्या 165 नया खाता संख्या 150 खसरा नम्बर 662 रकबा 0.09 हैक्टेयर का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिक विभाजन जमाबन्दी में अंकित हिस्से अनुसार पक्षकारान को नोटिस देकर उनकी उपस्थिति में कुर्रेजात प्रस्ताव मय नक्शा शीट तीन प्रतियों में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार आमेर द्वारा मुताबिक प्राथमिक डिकी अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्ताव इस न्यायालय को भिजवाये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पेश किया गया। वादी द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष को अपने हिस्सेनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव में हिस्सा दिया गया है तथा उभयपक्ष को कुर्रेजात प्रस्ताव बनाने हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये है। पक्षकारान को उनके हिस्सेनुसार रास्ते की ओर समुचित व्यवस्था करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई न्याय संगत ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया कि किसी भी पक्षकार को उसके हिस्से से अधिक भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया हो अथवा रास्ते की समुचित व्यवस्था नही हों। तथा दौराने बहस प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित होने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की। ऐसी सुरत में प्रतिवादी संख्या 1 की आपत्ति स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

अतः मुताबिक तहसीलदार आमेर जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. मंजू शर्मा पत्नी विमल कुमार शर्मा हि 1/3 विपुल पुत्र विमल कुमार शर्मा हि 1/3 नेहा शर्मा पुत्री विमल कुमार शर्मा हि 1/3 जाति ब्राहम्ण सा. कल्याण कुँज कांटे के पास झोटवाडा जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 662/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे मे पीले रंग से दर्शाया गया है।
2. कमलेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राहम्ण सा. प्लॉट नंबर 23 शक्ति नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 662/2 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है।
3. राजेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राहम्ण सा. भूरा की प्याऊ, कब्रस्थान के सामने आगरा रोड जयपुर खातदेार के हिस्से खसरा नंबर 662/3 रकबा 0.03 हैक्टयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दुसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर
सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुनील शर्मा (आर.ए.एस)

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 70/2020 वाद प्रस्तुति दिनांक – 23.09.2020

1. मन्जू शर्मा उम्र 56 वर्ष पत्नी स्व. श्री विमल कुमार
2. विपुल शर्मा उम्र 26 वर्ष पुत्र स्व. श्री विमल कुमार
3. नेहा शर्मा उम्र 28 वर्ष पुत्री स्व. श्री विमल कुमार

समस्त जतियान् ब्राहम्ण, निवासीयान – प्लोट नम्बर 21, कल्याण कुंज, खिरणी फाटक रोड, झोटवाड़ा, जयपुर (राजस्थान)

.... वादीगण

बनाम

1. कमलेश कुमार शर्मा उम्र 66 वर्ष पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी – प्लोट नम्बर 23, शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राजस्थान)
2. राजेश कुमार शर्मा उम्र 68 वर्ष पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी नरसिंह जी का मंदिर, भूरा का प्याउ, कब्रिस्तान के सामने, घाटगेट, जयपुर (राजस्थान)
3. तहसीलदार आमेर लैण्ड होल्डर, तहसील कार्यालय आमेर जिला जयपुर (राजस्थान)

..........प्रतिवादीगण

<u>वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट – 1955</u>

निर्णय दिनांक 12.04.2023

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता हैः–

1. मंजू शर्मा पत्नी विमल कुमार शर्मा हि 1/3 विपुल पुत्र विमल कुमार शर्मा हि 1/3 नेहा शर्मा पुत्री विमल कुमार शर्मा हि 1/3 जाति ब्राहम्ण सा. कल्याण कुँज कांटे के पास झोटवाडा जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 662/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे मे पीले रंग से दर्शाया गया है।
2. कमलेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राहम्ण सा. प्लॉट नंबर 23 शक्ति नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 662/2 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

0.03 हैक्टयर [illegible]

है।

उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दुसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे।।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 12.04.2023 को जारी किया ।

दस्तखत ---

ओहदा ---

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		